

आमजन की समस्याओं को घर-घर

जाकर सुना जा रहा है: ऊर्जा मंत्री तोमर

ग्वालियर। प्रदेश सकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने उपनार ग्वालियर में विकास यात्रा का शुभारंभ वार्ड 31 लक्षणपुरा श्रीकृष्ण धर्मशाला से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य जन सेवा है। यात्रा के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका मौक पर ही निराकरण किया जा रहा है। अपने कोई बढ़ी समस्या है तो उनका निराकरण भी सभी सीमा में करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि विकास यात्रा के दौरान पूर्व में हो चुके कारों की निरीक्षण भी किया जा रहा है। यात्रा के दौरान वार्ड 31 में एक करोड़ रुपये से अधिक के विकास कारों का हुआ भूमि पूर्ण एवं लोकार्पण किया गया।

चौथे दिवस विकास यात्रा में बड़ी संख्या में जनसमूह ऊर्जा मंत्री नरामर के साथ चलकर शासन की योजनाओं एवं क्षेत्र के गण गए कारों की जानकारी फोल्डर के माध्यम से आमजन को देने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री तोमर को कहा कि आमजन की समस्याओं का उनके घर-घर जाकर सुना जा रहा है और उन समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है।

विकास यात्रा के दौरान विद्युत, सीधर, सड़क एवं पेंचाल से संबंधित शिक्षकों में लिए गए कारों की जानकारी फोल्डर के माध्यम से आमजन को देने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री तोमर को उनके घर-घर जाकर सुना जा रहा है और उन समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है।

विकास यात्रा के दौरान विद्युत, सीधर, सड़क एवं पेंचाल से संबंधित शिक्षकों में लिए गए कारों की जानकारी फोल्डर के माध्यम से आमजन को देने का कार्य भी किया जा रहा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह को धमकी देने वालों को जेल की हवा खिलाएँ: प्रभूदयाल जौहरे

ग्वालियर। ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभूदयाल जौहरे, महासचिव साहब सिंह गुर्जर, कार्यालयकर्ता अध्यक्ष महाराज सिंह पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन पुलिस मुख्यालय पर एवं दीशनल एस.पी. रहमान जी को दिया।

ज्ञापन में कहा गया है कि यितर दिनों ग्वालियर में मप कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ग्वालियर के प्रभारी श्री महेन्द्र सिंह को थारीपुर पर पत्र देकर जान से मारने की धमकी दी गई है, यह दुस़हास और अपराधी गज के हैसले इन्हें बढ़ गए हैं कि राजनेताओं को सरेआम धमकी दी जा रही है। जिला

एवं पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले में तुरंत कार्यवाही करने के लिए विशेष दल गठित करते हुए धमकी देने वालों को कानून के शिक्षके में लाए और खुफिया तंत्र के सक्रिय किया जाना चाहिए कि अधिकारकर धमकी देने वाला है कौन पुलिस कारों द्वारा ही जान लिया और कहा कि पढ़ निखिल अच्छा इन्सान बढ़ें और अपने माँ-बाप का नाम

रोशन करें। कभी भी गलत का साथ न दें। स्वच्छता की आदत डालें क्योंकि यह लोगों ने न फेंकें। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय की एक कक्षा को स्टार्ट बनाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जहां वाटर

लक्षणपुरा बस्ती थोड़ीधाट में होटल साथा पड़ाव लक्षणपुरा से पुलिस तक नाला निर्माण लागत 43 लाख 16 हजार रुपये, कार्ति नार में 11 कंकड़ी लार्नां का पोल लगाने का कार्य लागत एक लाख रुपये, अइस फैक्ट्री के पीछे लगे टांसाफार्मर पर परिणामित के चारों तरफ जालों की फैक्सिंग नाम्बर-3 लागत एक लाख, श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे जी के घर के पास 11 कंकड़ी पोल लगाने का कार्य एक लाख रुपये की लागत के विकास कारों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही होटल साथा के पास पड़ाव जैरहे जी के घर के पास 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकारों में कार तथा अधिकार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकारों में आवकारी रेलवे से अधिक वाहन लगाने के लिए आवकारी रेलवे रेट तक बकाया है, उनमें 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर/उपभोक्ता प्रभार के लिए प्रकारण,

नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट

ग्वालियर। प्रदेश में वर्ष 2023

में होने वाली 4 नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी। नारीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नारायणिका से नेशनल लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों को लाभ उठाने का आग्रह किया है।

नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसंबर 2023 को आयोजित की जायेगी।

सम्पत्ति कर के लिए प्रकारण, जिनमें कर वाला अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकारों में कार तथा अधिकार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकारों में आवकारी रेलवे से अधिक वाहन लगाने के लिए आवकारी रेलवे रेट तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकारों में आवकारी रेलवे रेट तक की छूट दी जायेगी।

जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बकाया जायेगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये वह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक बकाया जायेगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर होगी।

बार ही दी जायेगी। 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-